

(भारत के राजपत्र के भाग -II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

(फा. सं. 11012/2/2000-स्था. (क))

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अक्टूबर 10, 2000

अधिसूचना

11 OCT 2000

सं.का.नि..... राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) तथा अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में आगे और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन नियमावली, 2000 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 11 के प्रथम परन्तुक में "आरोप स्वीकार करने के " शब्दों के स्थान पर " आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां रखने का आरोप अथवा आरोप स्वीकार करने के " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

शाश्वती बन्धोपाध्याय,
(श्रीमती एस.बन्धोपाध्याय)

निदेशक

(फा. सं. 11012/2/2000-स्था. (क))

64
65

13

पाद टिप्पण : मुख्य नियम दिनांक 20 नवम्बर, 1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्था(क) द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में निम्नानुसार संशोधित किए गए:-

सां.आ.	1149	दिनांक अप्रैल 13, 1966
सां.आ.	1596	दिनांक जून 4, 1966
सां.आ.	2007	दिनांक जुलाई 9, 1966
सां.आ.	2648	दिनांक सितंबर 2, 1966
सां.आ.	2854	दिनांक अक्टूबर 1, 1966
सां.आ.	1282	दिनांक अप्रैल 15, 1967
सां.आ.	1457	दिनांक अप्रैल 29, 1967
सां.आ.	3253	दिनांक सितंबर 16, 1967
सां.आ.	3530	दिनांक अक्टूबर 7, 1967
सां.आ.	4151	दिनांक नवंबर 25, 1967
सां.आ.	321	दिनांक मार्च 9, 1968
सां.आ.	1441	दिनांक अप्रैल 27, 1968
सां.आ.	1870	दिनांक जून 1, 1968
सां.आ.	3423	दिनांक सितंबर 28, 1968
सां.आ.	5008	दिनांक दिसंबर 27, 1969
सां.आ.	397	दिनांक फरवरी 7, 1970
सां.आ.	35217	दिनांक सितंबर 25, 1971
सां.आ.	249	दिनांक जनवरी 1, 1972
सां.आ.	990	दिनांक अप्रैल 22, 1972
सां.आ.	1600	दिनांक जुलाई 1, 1972
सां.आ.	2789	दिनांक अक्टूबर 14, 1972
सां.आ.	929	दिनांक मार्च 31, 1973

सां.आ.	1648	दिनांक जुलाई 6, 1974
सां.आ.	2742	दिनांक जुलाई 31, 1976
सां.आ.	4664	दिनांक दिसंबर 11, 1976
सां.आ.	3062	दिनांक अक्तूबर 8, 1977
सां.आ.	3573	दिनांक नवंबर 26, 1977
सां. आ.	3574	दिनांक नवंबर 26, 1977
सां. आ.	3671	दिनांक दिसंबर 3, 1977
सां. आ.	2464	दिनांक सितंबर 2, 1978
सां. आ.	2465	दिनांक सितंबर 2, 1978
सां. आ.	920	दिनांक फरवरी 17, 1979
सां. आ.	1769	दिनांक जुलाई 5, 1980
सां. आ.	264	दिनांक जनवरी 24, 1981
सां. आ.	2126	दिनांक अगस्त 8, 1981
सां. आ.	2203	दिनांक अगस्त 22, 1981
सां. आ.	2512	दिनांक अक्तूबर 3, 1981
सां. आ.	168	दिनांक जनवरी 23, 1982
अधिसूचना सं. 11012/15/84-स्था. (क) दिनांक जुलाई 5, 1985		
अधिसूचना सं. 11012/5/85-स्था. (क) दिनांक जुलाई 29, 1985		
अधिसूचना सं. 11012/6/85-स्था. (क) दिनांक अगस्त 6, 1985		
सां. आ.	5637	दिनांक दिसंबर 21, 1985
सां. आ.	5743	दिनांक दिसंबर 28, 1985
अधिसूचना सं. 11012/24/85-स्था. (क) दिनांक नवंबर 26, 1986		
सां. आ.	830	दिनांक मार्च 28, 1987
सां. आ.	831	दिनांक मार्च 28, 1987

सां. आ.	1591	दिनांक जून 27, 1987
सां. आ.	1825	दिनांक जुलाई 18, 1987
सां. आ.	3060	दिनांक अक्तूबर 15, 1988
सां. आ.	3061	दिनांक अक्तूबर 16, 1988
सां. आ.	2207	दिनांक सितंबर 16, 1989
सां. आ.	1084	दिनांक अप्रैल 28, 1990
सां. आ.	2208	दिनांक अगस्त 25, 1990
सां. आ.	1481	दिनांक जून 13, 1992
सा. का. नि.	289	दिनांक जून 20, 1992/भाग-11
सा. का. नि.	589	दिनांक दिसंबर 26, 1992
सा. का. नि.	499	दिनांक अक्तूबर 8, 1994
सा. का. नि.	276	दिनांक जून 10, 1992
सा. का. नि.	17	दिनांक फरवरी 20, 1996
सा. का. नि.	125	दिनांक मार्च 16, 1996
सा. का. नि.	417	दिनांक अक्तूबर 5, 1996

दिनांक अगस्त 21, 2000 की अधिसूचना संख्या 11012/20/98 स्था०-(क)

शाश्वती बन्दोपाध्याय,
(श्रीमती एस. बन्दोपाध्याय)

निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली ।